(172)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

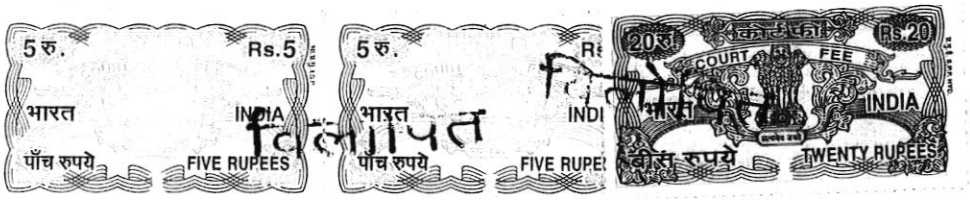

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

Reg 3968 - II / 16

श्री आर.एन.मिश्रा द्वारा आज दि 28-11-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 28-11

603 / 28-11-16

आर.एन.मिश्रा 28-11-16

1. श्रीमती गनेशिया यादव पत्नी शिवनाथ यादव निवासी मुख्त्यारगंज सतना जिला सतना म0प्र0
2. श्रीमती सुशीला देवी गुप्ता पत्नी केशव प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमानगंज सतना जिला सतना म0प्र0---**आवे0गण**

बनाम

1. राजकुमार जैन तनय श्री भगवानदास जैन निवासी अजयगढ़ तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना म0प्र0
2. शासन म0प्र0द्वारा पटवारी हल्का अमौधाकला सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0---**अना0गण**

पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 51(3)म0प्र0भू0रा0 संहिता-1959

बाबत् किये जाने पुर्नविलोकन माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर के पीठासीन अधिकारी श्री के0सी0जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक-4182-तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.09.2016 में।

मान्यवर,

आवे0गण/गैर निगराकार निम्नलिखित आधार पर आदेश दिनांक 26.08.16 के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

अनावेदक कमांक-1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रघुराजनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-5अ5/12-13 में पारित आदेश दिनांक 02.08.13 के विरूद्ध इस आशय की निगरानी प्रस्तुत की गयी थी कि तहसीलदार द्वारा वैधानिक सुनवाई किये बिना राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार तरमीम की कार्यवाही दुरूस्त कर दी गयी है जो किसी भी प्रकार से विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है जिसमें अनावेदक कमांक-1 को सुनवाई का कोई अवसर प्रदाय नहीं किया गया, जिससे तहसीलदार का आदेश दिनांक 02.08.2013 निरस्त किया जाय।

जिसमें आवेदक/गैर निगराकार उपस्थित होने के उपरान्त प्रकरण में निश्चित सुनवायी के दौरान तर्क हेतु समय चाहा गया और प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों के

Conti.........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3968–दो/16 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.7.17	आवेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4182–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3968–दो/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 4182–तीन/14 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 26.08.2016 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0	

3968–दो/2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य